न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./56/2019

1. श्रीमति मीरा पत्नि गणपत जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति छोटी पत्नि सुरजमल जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. नोसर पत्नि भाणु जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. झमला पत्नि उगमा जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री धर्मा पुत्र श्री लाला जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री नंगा पुत्र श्री काना जाति रावत निवारी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थितः- श्री धर्मवीर बामनिया (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 21.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गोवलिया के खसरा नं. 1694/2450 रकबा 0.04 हैं0 किस्म गै0मु0पाल जो कि प्रार्थीयागण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी करवाना चाहती है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 प्रार्थीया की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 3 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 जरिये अधिवक्ता श्री सांवरलाल चौधरी जवाब पत्र प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने प्रार्थना में वर्णित भूमि खातेदारी आराजी होने से पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पत्र में लिखित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. अस्वीकार किए जाने बाबत पुरजोर निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीयागण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा गोवलिया के खसरा नं. 1694/2450 रकबा 0.04 हैं0 किस्म गै0मु0पाल प्रार्थीयागण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक-छछून्दरा को 1500/-रूपये(अक्षरे एक हजार पांच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner